न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 154/2015
पंजीयन दिनांक 13.08.2015

(1). मांगीलाल पिता काशीराम जाति रेबारी निवासी बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़। मृतक के बजाय-

1/1. अंदरी बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी भेरूलाल जाति रेबारी निवासी बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ हाल भागलिया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

1/2. देऊ बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी मांगीलाल जाति रेबारी निवासी बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ हाल निवासी कल्याणपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवड़ा।

1/3. शांता बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी गणपत जाति रेबारी निवासी बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ हाल रेबारियों की ढाणी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

1/4. वरजी बाई पत्नी मांगीलाल जाति रेबारी निवासी बोलों का सावंता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांटगण

बनाम

(1). गमेर पिता काशीराम जाति रेबारी निवासी बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(2). जेतु पुत्री काशीराम जाति रेबारी निवासी बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम निलाखी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

(3). बद्रीलाल पिता धन्ना जाति दरोगा निवासी भाटखेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(4). बद्री पिता गंगाराम जाति कुम्हार निवासी बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(5). पहाडु पिता प्रभू जाति रेबारी निवासी बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला जिला चित्तौड़गढ़।

(6). केलण पत्नी पहाडु जाति रेबारी निवासी बोलों का सावंता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़। (मृतक)

(7). बद्रीलाल पिता प्रभू जाति रेबारी निवासी बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(8). भंवरीबाई पत्नी बद्रीलाल जाति रेबारी निवासी बोलों का सांवता तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

. गेन्दाकंवर पत्नी पर्वतसिंह जाति राजपूत निवासी मेहीखेड़ा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(10). सरकार जरिये तहसीलदार(भू0अ0) गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

(11). सरकार जरिये उप पंजीयक गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 57/2013 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015

उपस्थित वक्त बहस–(1). छोगालाल जाट–अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). रमेश दशोरा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4
(3). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 10,11

निर्णय **दिनांक 13.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188, 209 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8 एक ही अविभाजित हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादीगण की पूर्वजों की संयुक्त कृषि आराजीयात मेवाड़ सेटलमेंट के समय भी मौजा गेणिया माफी तहसील गंगरार मे अवस्थित रही है, जिसमे समस्त माफीदारान से पक्षकारान के पूर्वजो के नाम कृषि आराजीयात साबिक बन्दोबस्त रेकॉर्ड सम्वत 2008 के इन्द्राज अनुसार दर्ज रेकॉर्ड रही है जो जमाबंदी मेवाड़ सम्वत 2008 साबिक खाता संख्या 20/2013 मे वर्णित आराजी संख्या 513, 515, 519/1, 522/2, 525, 529/1, 529/2, 560 कुल किता 8 कुल रकबा 48 बीघा 7 बिस्वा दर्ज रेकॉर्ड थी। उपरोक्त खाते वाली साबिक बन्दोबस्ती आराजीयात स्वर्गीय प्रभू, हंजा, काशी, मादू पिता नंगा रेबारी निवासी बोलों का सावंता के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज रकॉर्ड थी। पक्षकारान का पारिवारिक सजरा अंकित किया। उक्त वर्णित सम्पूर्ण साबिक कृषि आराजीयात मे से साबिक आराजी संख्या 515 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा जा उपरला बीड़ा के नाम से जाना जाता है वह भी अन्य कृषि आराजीयात के साथ हिस्सानुसार सह खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड रहा है, उक्त आराजी के नवीन बन्दोबस्ती रेकॉर्ड मे दर्ज रही है जिसके जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 की खाता संख्या 128 मे वर्णित आराजी संख्या 288, 289, 290 कुल किता 3 कुल रकबा 2.94 हैक्टेयर दर्ज रेकॉर्ड है, एवं अन्य खाते मे दर्ज नवीन आराजी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रकबा 0.82 हैक्टेयर कुलिया 4 रकबा 3.76 हैक्टेयर दर्ज रेकॉर्ड हुआ है। जिसमे से नवीन आराजी संख्या 290 जो राजस्व रेकार्ड के अनुसार एवं साबिक नक्शा ट्रेस से तुलनात्मक अध्ययन करने पर पूर्ण रूप से साबिक रकबा 1.84 दर्ज किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा न करके भू-प्रबन्ध कर्मचारियों ने नवीन बन्दोबस्त रेकॉर्ड के नक्शा ट्रेस मे आमुल चुल परिवर्तन अपने विवके से कर दिया है जो मिलान खसरा मिलान क्षेत्रफल एवं साबिक एवं नवीन नक्शा ट्रेस से प्रथम दृष्ट्या रेकॉर्ड से प्रमाणित लगता है। अन्त मे मोजा गेणिया की नवीन आराजी संख्या 290/1210 व उसके बने नवीन हिस्सो वाली भूमि कुलिया रकबा 1.00 हैक्टेयर वाले क्षेत्रफल को नक्शा ट्रेस मे दुरुस्ती करते हुए नवीन आराजी संख्या 290 का ही जूज हिस्सा ट्रेस के रूप मे अंकित कर इसी अनुरूप वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आराजी संख्या 290/1210 से बनने वाले आराजी संख्या 290/1210/1225, 290/1210/1226 एवं 290/1210/1227 का सहखातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का खातेदारी इन्द्राज विलोपित कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया व आराजी संख्या 290 से लगवां ट्रेस वाली नवीन आराजी संख्या 290/1210 एंव उससे बनने वाली सभी टुकड़े आराजी संख्या 290/1210/1225, 290/1210/1226 एवं 290/1210/1227 को प्रतिवादीगण किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीश हस्तांतरण नहीं करे साथ ही वादी के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी न तो स्वयं करे और न किसी अन्य से करावे इस आशय स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। प्रतिवादी संख्या 10, 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 09.04.2015 को पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई जिसके लिये आगामी तारीख पेशी 15.05.2015 नियत की गई। दिनांक 15.05.2015 को पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी 10.06.2015 लोक अदालत कैम्प की नियत की गई। दिनांक 10.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प बोर्लो का सांवता मे रखी जाकर वादग्रस्त कृषि आराजीयात का रकबा गत भू-प्रबन्ध के मुकाबले नवीन भू-प्रबन्ध मे कम दर्ज नहीं होना दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित होना मानकर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर पीलांट वादी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे अंदर म्याद प्रस्तुत की है। अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 उपस्थित हुए व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जो अपरिपक्व वादपत्र मे पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत होते हुए लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे व बिना सूचना के लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना साक्ष्य सबूत के वादपत्र को प्रमाणित नहीं होना मानते हुए गुणावगुण पर निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे वक्त बहस उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की सहमति व्यक्त की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की सहमति पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 09.04.2015 को वास्ते कायमी तनकीयात नियत था। उक्त पत्रावली मे बिना तनकीयात कायम किये, बिना किसी सूचना के दिनांक 10.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत मे नियत किया गया व उभय पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे के व बिना साक्ष्य सबूत के अपीलांट वादी का वादपत्र प्रमाणित नहीं होना मानते हुए अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा लोक अदालत के संबंध मे पारित सिद्धान्त आर.एल.डब्ल्यु 2008 पार्ट-2 पेज 975 जिसमे यह स्पष्ट किया गया है कि लोक अदालत विशुद्ध रूप से उभय पक्षकारान के मध्य सुलह व राजीनामे से संबंधित है जो इस प्रकरण पर चस्पा होने से व उभय पक्षकारान की सहमति से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 57/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण मे उभय पक्षकारान के अभिवचनों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ार तनकीयात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना तनकीवार गुणावगुण पर अजसरे, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 17.10.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)